

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

अधिग्रहण वाद सं०-०५/२०१४

(तरैया थाना कांड संख्या ०९/२०१४, दिनांक ११.०२.२०१४, धारा ७ EC से संबंधित)

सरकार (मार्फत अनु० पदा, मढौरा, सारण)

बनाम

शंकर साह

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
16.04.2015	<p>विपक्षी (जप्त खाद्यान्न के स्वामी) की हाजरी प्राप्त।</p> <p>यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के पत्रांक 555/आ०, 16.02.2014 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आलोक में प्रारंभ हुआ। यह तरैया थाना कांड संख्या 09/2014, दिनांक 11.02.2014, धारा 7EC से संबंधित है।</p> <p>इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.02.2014 के आलोक में निर्गत नोटिस 54/न्या०/28.02.2014 के प्रसंग में विपक्षी से जवाब प्राप्त है।</p> <p>इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.02.2014 के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के पत्रांक 1719 दिनांक 26.07.2014 के द्वारा जप्त सामग्री की डाक के द्वारा बिक्री कर विक्रय राशि कोषागार में जमा कराकर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।</p> <p>विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा तरैया थाना कांड संख्या 09/2014 से संबंधित वाद संख्या 596/2014 में आदेश फलक की सच्ची प्रतिलिपि संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। संलग्न आदेश फलक के परिसीलन के उपरान्त स्पष्ट होता है कि दिनांक 12.01.2015 को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा अनुसंधानकर्ता के द्वारा समर्पित अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार कर वाद की कार्रवाई समाप्त करने का आदेश दिया गया है, चूंकि सूचक के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपति इस संबंध में दर्ज नहीं की गई।</p> <p>विपक्षी के द्वारा समर्पित कागजात के आधार पर अनुमंडल</p>	

पदाधिकारी, मढौरा को निर्देश है कि उक्त थाना कांड में जप्त खाद्यान्न की विक्रय राशि जप्त खाद्यान्न के स्वामी/ दावाकर्ता को उचित पहचान पर विहित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इस अभिलेख की कार्यवाही बन्द की जाती है।

लेखापित एवं सशोधित

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक, 274/...../न्यायालय, दिनांक: 21/4/15

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि संलग्न कागजात का तामिला संबंधित को कराकर तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपि:- थानाध्यक्ष, तरैया थाना छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

प्रतिलिपि:- विपक्षी (जप्त खाद्यान्न का स्वामी/दावाकर्ता) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप सहायक
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

21/4/15